

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

सन्तलाल उर्फ सतपाल

बनाम

भागीरथ आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 280 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
22.12.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 6 के एनएन तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 67/63 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.1230 हैक्टेयर वादभूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 22.01.2024 को पेश हो ।</p>	
	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)</p>	
22/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. झाहब सिंह कार्तिक सूर्य पत्रावली कि 22/11/24 को पेश हो</p>	
29/12/24	<p>वकील सायल उपस्थित जमाना की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो</p>	
05/24	<p>वकील वादी व निवेदन पर पत्रावली को हुई वकील वादी वादी व निवेदन कि की हम पत्रावली को आधार में रजिस्ट्रार एत गंगा उपस्थित वाद वकील चयाना याह स्वकारित परमाणु वादी स्वयं व दा अपना वाद वकील चयान व वाद किमा वादी व पत्रावली दाखिल पत्रावली</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संतलाल
Santlal